

Most urgent
Just now

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:निस/निदेशक(जन स्वास्थ्य)/2017/155

दिनांक: 06.11.2017

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- चिकित्सकों के सामूहिक त्यागपत्र/अवकाश पर रहने के दौरान
मेडिको-लीगल/पोस्टमार्टम बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06.11.2017 से सामूहिक त्यागपत्र/अवकाश पर रहने के कारण कुछ राजकीय मेडिकल कालेजों में पदस्थापित चिकित्सक शिक्षकों द्वारा मेडिको-लीगल/पोस्टमार्टम केसेज की रिपोर्ट नहीं बनाने की शिकायत प्राप्त हो रही है।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि सभी राजकीय मेडिकल कालेज (न्यू मेडिकल कालेजों सहित) के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रको एवं संबधं चिकित्सालयों के अधीक्षकों को मेडिको-लीगल/पोस्टमार्टम केसेज की रिपोर्ट शीघ्र बनाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करावें।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
4. समस्त अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी सम्बन्धित को मेल द्वारा भिजवाते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।